म.प्र.पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना न्यास ::

:: नि य म ::

- मध्य प्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक एफ–3/92/2012/बी–3/दो भोपाल दिनांक 19 अगस्त 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई है ।
- योजना के सदस्य/आश्रित (परिवार के सदस्य) योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिये पात्र होगें । परिवार की परिभाषा म.प्र.सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम–1958 के अनुसार ही होगी । (नियम 3–छ)
- ऐसी किसी बीमारी, जिसकी समुचित उपचार सुविधा/जॉच शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है से पीड़ित होने की स्थिति में पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निजी चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार/सर्जरी की अनुमति/रैफरल हेतु आवेदन पत्र आवश्यक चिकित्सकीय प्रपत्रों सहित प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस अधीक्षक/सेनानी/इकाई प्रमुख द्वारा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से 24 घंटे के भीतर परामर्श प्राप्त किया जावेगा
- जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श पर शासन से मान्यता प्राप्त राज्य के भीतर/बाहर स्थित निजी चिकित्सालय में रेफरल/उपचार की अनुमति निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र–2) में पुलिस अधीक्षक/सेनानी/इकाई प्रमुख द्वारा प्रदान की जावेगी । रैफरल आदेश सहित समस्त पत्राचार में कोषालय द्वारा सदस्य को प्रदाय किया गया यूनिक कोड आवश्यक रूप से अंकित किया जावेगा ।
- शासकीय कर्मचारियों के उपचार करने हेतु विभिन्न बीमारियों/सर्जरी के लिये शासन से मान्यता प्राप्त राज्य के भीतर स्थित निजी चिकित्सालयों की सूची (परिशिष्ट–3) तथा राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों की सूची (परिशिष्ट–4) म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेब–साईट (http://www.health.mp.gov.in) एवं (http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर उपलब्ध है ।
- शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम–1958 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों एंव चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में संचालित किये जाने वाले चिकित्सालयों जैसे ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) भोपाल तथा भोपाल मेमोरियल हास्पीटल एंव रिसर्च सेंटर में बिना किसी रैफरल के उपचार कराने हेतु अनुमति प्रदान की गई है । इन चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं होने से सदस्य कर्मचारी चिकित्सा अग्रिम प्राप्त कर सकेगा ।
- पुलिस अधीक्षक/सेनानी/इकाई प्रमुख द्वारा रेफर किये गये निजी चिकित्सालयों से उपचार पर आने वाले व्यय के संबंध में Pre-Authorisation Requisition (PAR) (परिशिष्ट–5) प्राप्त कर अनुमोदित किया जावेगा । म.प्र.सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम–1958 के अंतर्गत अनुमोदित दरों की सूची म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेब–साईट (http://www.health.mp.gov.in) एवं (http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर उपलब्ध है । रेफरल एंव पीएआर में उल्लेखित उपचार से अतिरिक्त यदि कोई अन्य उपचार

आवश्यक होगा तो उसके लिये चिकित्सालय द्वारा Enhancement of treatment request भेजी जावेगी ।

अत्यन्त आकस्मिक परिस्थितियों में जहॉ जीवन रक्षा हेतु पीड़ित कर्मचारी/परिवार के सदस्यों को अविलम्ब उपचार प्रदान करना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को योजना से अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में सीधे भर्ती कराया जा सकेगा । ऐसे प्रकरणों में संबंधित निजी चिकित्सालय द्वारा कर्मचारी के इकाई प्रमुख को 24 घंटे के भीतर निर्धारित प्रारूप में पीएआर फार्म भेजकर रेफरल की अनुमति एंव पीएआर का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा । साथ ही निर्धारित प्रारूप में अति आवश्यकता प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–6) भी संलग्न कर भेजा जावेगा । इकाई प्रमुख द्वारा ऐसे प्रकरणों में इकाई प्रमुख द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से परामर्श कर रेफरल की अनुमति एंव पीएआर पर अनुमोदन प्रेषित किया जावेगा ।

ध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा न्यास द्वारा सदस्य/आश्रितों के कैशलेस उपचार/सर्जरी हेतु ासन से मान्यता प्राप्त प्रदेश एंव प्रदेश के बाहर स्थित 53 निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया गया है । ये अनुबंधित चिकित्सालय अनुबंध की शर्तो के आधार पर पुलिस धीक्षक/सेनानी/इकाई प्रमुख द्वारा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा परान्त रैफर किये जाने पर कैशलेस सुविधा प्रदान करेगें ।

पचार उपरान्त चिकित्सालय द्वारा दो प्रतियों में चिकित्सा देयक तैयार कर उन पर संबंधित र्मचारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपचार करने वाले चिकित्सक से सत्यापित कराकर भुगतान ु संबंधित इकाई को भेजा जावेगा ।

काई प्रमुख द्वारा निर्धारित 45 दिवस की अवधि के भीतर चिकित्सा देयकों का परीक्षण रान्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराये कर कोषालय से देयकों का आहरण कर संबंधित चिकित्सालय को भुगतान करेगें ।

यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा न्यास से गैर अनुबंधित चिकित्सालय जहॉ कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध नही है में रैफर किये जाने, अथवा कर्मचारी (पति/पत्नि), एवं 3 बच्चों के तिरिक्त रैफर किये जाने वाले अन्य आश्रित व्यक्ति के उपचार के लिये इकाई प्रमुख द्वारा र्गारित प्रकिया अनुसार चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रकरण पुलिस मुख्यालय कल्याण ख़ा को भेजा जावेगा ।

कित्सालय द्वारा देयक प्रेषित किये जाने के 45 दिवस की अवधि के पश्चात स्वीकृत देयक भुगतान यदि चिकित्सालय को प्राप्त नही होता है तो उसके द्वारा मांग करने पर धनराशि .पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा न्यास से प्रदाय की जावेगी, जिसे बाद में बजट उपलब्ध होने के ात संबंधित इकाई से वापस प्राप्त कर लिया जायेगा ।

ान में पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 25 वर्ष तक के 3 पुत्र/पुत्रियों को ेल किया जाकर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अतः निर्णय लिया गया के योजना के अंतर्गत उम्र का बंधन समाप्त किया जाकर म.प्र.चिकित्सा परिचर्या प्र--1958 में दर्शाये अनुसार आश्रित 3 बच्चों को योजना के अंतर्गत उपचार की सुविधा ा की जावे। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बच्चों का क्रम राज्यशासन के ानुसार ही रहेगा ।

र्तमान में अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित माता–पिता को योजना के अंतर्गत कैशलेस
चार हेतु शामिल नहीं किया गया, यद्यपि म.प्र.चिकित्सा परिचर्या नियम–1958 के अंतर्गत
किित्सा परिचर्या प्रतिपूर्ति की पात्रता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि आश्रित
ता/पिता को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाकर कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदत्त
जावे। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आश्रित की श्रेणी में केवल वही माता/पिता
येगें जिनकी वार्षिक आय राज्यथासन द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन है। प्रायः यह देखा
रहा है कि–यदि किसी कर्मचारी के कई सदस्य विभागीय सेवा में कार्यरत हैं, तो उन
ी के द्वारा अपने माता–पिता को आश्रित की श्रेणी में नामांकित किया गया है, जो उचित
है, जबकि राज्यशासन के नियमानुसार यदि किसी परिवार के कई सदस्य शासकीय
ा में हैं तो केवल एक कर्मचारी को ही आश्रितों की सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने का
धान है। अतः भविष्य में यदि किसी आश्रित को योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है
यह सुनिश्चित किया जावे कि उसके अन्य शासकीय सेवा में कार्यरत रिश्तेदार/भाई आदि
उन्हें अपने ऊपर आश्रित होने संबंधी नामांकित तो नही किया गया है। यदि इस संबंध
ावश्यक समझा जावे तो इस आशय का शपथ–पत्र भी संबंधित कर्मचारी से प्राप्त किया
कता है।

यह भी देखने में आ रहा है कि इकाई प्रमुख किडनी/लीवर ट्रान्सप्लांट (अगं प्रत्यारोपण)
गों में बिना परीक्षण किये चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति संबंधी प्रकरण इस कार्यालय को
कर रहे हैं, जो उचित नही है । राज्यथासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप
ी अथवा लीवर ट्रान्सप्लांट प्रकरणों में नियमानुसार संभागीय चिकित्सा महाविद्यालय के
ाता के निर्देशन में गठित कमेटी द्वारा अनुमति पश्चात ही किडनी/लीवर ट्रान्सप्लांट की
ाही की जा सकती है, अतः भविष्य में नियमानुसार गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार
ख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी जाने वाली 80 प्रतिशत अग्रिम की
ा प्राप्त कर प्रकरण उपचार के 20 दिवस पूर्व इस कार्यालय को भिजवायें ताकि
ाकता अनुसार बजट आधारित चिकित्सा अग्रिम अथवा योजना निधि से अग्रिम
ने हेतु समय पर विचार किया जा सके । ऐसे प्रकरणों में उपचार उपरान्त राशि
ने का प्रावधान नही है।

पुलिस इकाईयों में पदस्थ कर्मचारियों तथा उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों के
ोग का उपचार योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है, कैंसर रोग का उपचार लंबी
तक चलने की संभावना निरंतर बनी रहती है, जिसके कारण उपचार पर निर्धारित
से अधिक व्यय की संभावना भी होती है। राज्यशासन द्वारा विभिन्न कैंसर रोगों के
हेतु पैकेज निर्धारित किये गये हैं । अतः भविष्य में लम्बी अवधि तक चलने वाले
रोगों हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से (PROLONG TREATMENT
ICATE) प्राप्त कर लिया जावे, ताकि उपचार उपरांत चिकित्सा देयकों के भुगतान में
कार की कठिनाई न हो सके। इसके अतिरिक्त कई बार योजना के अंतर्गत
निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पश्चात फालोअप चैकअप के लिये
चिकित्सालय द्वारा बाह्य रोगी के रूप में उपचार प्रदत्त करते हैं । संचालक,
सेवायें द्वारा अवगत कराया गया है कि कीमोथेरेपी आदि की व्यवस्था शासकीय

चिकित्सालयों में निशुल्क उपलब्ध है तथापि निरंतर जारी रहने वाले उपचारों में प्रोलांग प्रमाणपत्र प्राप्त कर कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

- विभिन्न पुलिस इकाई प्रमुख को उनकी अनुशंसा पर गैर अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम तथा निजी चिकित्सालयों में योजना के अंतर्गत कराये गये उपचार पर हुये व्यय का भुगतान बजट के अभाव में उनके अनुरोध पर संबंधित निजी चिकित्सालयों को किया जाता है, जिसके समायोजन में कठिनाई आ रही है । राज्य शासन की अनुमति से म.प्र.पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (न्यास) का खाता भारतीय स्टेट बैंक जहॉगीराबाद शाखा में खुलवाया गया है, जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :-

1	A/C HOLDER	M.P.POLICE HEALTH PROTECTION SCHEME
2	BANK	STATE BANK OF INDIA
3	BRANCH	JEHANGIRABAD BHOPAL
4	A/C NO	33752714197
5	IFSC CODE	SBIN0001178

अतः भविष्य में स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से दी गई अग्रिम राशि तथा चिकित्सालयों को इस कार्यालय द्वारा उक्त निधि से भुगतान की गई राशि का समायोजन उपरोक्त खाते में किया जाना सुनिश्चित किया जावे, यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त खाते में केवल योजना से संबंधित अग्रिम, चिकित्सालय को भुगतान की गई राशि, कर्मचारियों से योजना के अंतर्गत किये गये अशंदान के कटोत्रा का ही समायोजन किया जावेगा अन्य किसी प्रकार की कल्याणकारी गतिविधियों से प्राप्त आय (केंटीन/पेट्रोल पम्पों आदि का लाभांथ) आदि का समायोजन योजना के उपरोक्त खाते में कदापि नहीं किया जावे, खाते में समायोजित की गई राशि का पूर्ण विवरण समायोजन के तत्काल पश्चात इस कार्यालय को भिजवाया जावे, ताकि लेखे-जोखे का संधारण समय पर किया जा सके ।

- योजना को चालू हुये तीन वर्ष हो चुके हैं तथा सभी इकाई में पदस्थ नोडल अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारी को योजना के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही का ज्ञान हो चुका है, तथापि यदि योजना के अंतर्गत रैफर करने, चिन्हित अस्पतालों में उपचार कराने तथा बिलों के प्रस्तुतीकरण/भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस की जा रही है, तो इस कार्यालय को अवगत कराया जा सकता है, ताकि उसका निराकरण किया जा सके । इस संबंध में स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यालय के दूरभाष कमांक 0755-2443529 एवं काल सेंटर के मोबाईल नंबर 7587602803,804,805 पर भी संपर्क कर किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण कराया जा सकता है।
- स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में दिनांक 18.08.2015 को हुई संयुक्त परामर्थदात्री समिति की बैठक में विथेष रूप से यह मुद्दा उठाया गया था, जिसके तारतम्य में इस कार्यालय द्वारा परिपत्र दिनांक 08.04.15, 08.06.15, 25.07.15 तथा 29.09.15 के द्वारा निर्देथित किया गया था कि समस्त इकाई प्रमुख अपनी इकाई में पदस्थ 50 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण आवथ्यक रूप से करावें । न्यास द्वारा निर्णय लिया गया है कि म.प्र.पुलिस की वेबसाईट पर एक टेग बनाया जाकर पीएचपीएस का पेज लिंक जावे तथा वर्ष में 2 बार यथासंभव माह-अप्रैल एवं नवम्बर में एक स्वास्थ्य थिविर का आयोजन(मेडिकल हेल्थ चैकअप कैंप) आयोजित कराने की जानकारी दी जावे, जिसमें समस्त

पुलिस कर्मियों (आर. से अति.पु.अ. स्तर तक) के 40वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारी/कर्मचारियों को शामिल किया जावे तथा उनके पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण का डीजिटल रिकार्ड रखा जावे तथा ट्रस्ट किस प्रकार से मेडिकल सपोर्ट कर सकता है, इस संबंध में एक रूपरेखा बनाई जावे। कृपया इस संबंध में योजना के अंतर्गत अनुबंधित चिकित्सालयों से संपर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन कराया जाकर निर्धारित प्रारूप में परीक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जावे ।

- योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले उपचार के देयकों का भुगतान किये जाने हेतु देयक संबंधित इकाई प्रमुख की ओर भेजे जाते हैं। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि इकाई प्रमुखों द्वारा निजी चिकित्सालयों से प्राप्त चिकित्सा देयकों का परीक्षण किये बिना प्रतिहस्ताक्षर की कार्यवाही कर भुगतान कर रहे हैं, जो उचित नहीं है । कृपया भविष्य में प्राप्त चिकित्सा देयकों का परीक्षण म.प्र.सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम–1958 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जावे, ताकि अधिक भुगतान की स्थिति से बचा जा सके । भविष्य में चिकित्सालय के द्वारा उपचार पर आने वाले अनुमानित व्यय की जानकारी जो कि पीएआर फार्म में भेजी जाती है, उसके अनुमोदन से पूर्व मेडिकल लिपिक/डीडीओ/नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जावे कि वह निर्धारित पैकेज से अधिक तो नहीं है, यदि पीएआर अधिक राशि का परिलक्षित होता है तो इस संबंध में चिकित्सालय से संपर्क कर संशोधित पीएआर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावे। टोटल हिप, नी रिप्लेशमेंट, हृदयरोग जैसे गंभीर प्रकरणों में राज्यशासन द्वारा निर्धारित व्यय के अंतर्गत ही उपचार कराया जावे, यदि कर्मचारी द्वारा अच्छी क्वालिटी के कैप, स्टंट आदि लगाये जाते हैं, तो उपचार पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का भुगतान संबंधित कर्मचारी द्वारा ही वहन किया जावेगा।
- प्रायः यह भी देखा जा रहा है कि इकाई प्रमुख रैफरल जारी करने के पश्चात अपने कार्य की ईतिश्री समझ लेते हैं, जो उचित नही है, इस संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र 171/15 दिनांक 07.05.2015 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जा चुका है कि प्राप्त चिकित्सा देयकों का भुगतान संबंधित चिकित्सालय को 45 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से किया जाना है । कई इकाई प्रमुखों द्वारा यह अवगत कराया जाता है कि चिकित्सा देयक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त अप्राप्त है, जो उचित नहीं है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि रैफरल जारी करने के पश्चात संबंधित शासकीय सेवक के उपचार समाप्ति तक सतत संपर्क में रहें एंव उपचार पश्चात देयक प्राप्त होने पर निर्धारित समयसीमा में देयकों का भुगतान अनुबंधित निजी चिकित्सालय को किये जाने के प्रयास किये जावें, इस संबंध लेख किया जाता है कि प्रत्येक इकाई में एक वरिष्ठ आरक्षक को इस कार्य हेतु तैनात किया जावे जो योजना के अंतर्गत कराये गये उपचार के प्राप्त चिकित्सा देयकों पर सीएमएचओ से निर्धारित समयावधि में प्रतिहस्ताक्षर करावें, ताकि समयसीमा में निजी चिकित्सालयों को भुगतान किया जाना सुनिश्चित हो सके । यदि भविष्य में किसी चिकित्सालय द्वारा इस कार्यालय को देयक का भुगतान समय पर न होने बाबत अवगत कराया जाता है तो इस संबंध में इकाई प्रमुख तथा योजना से संबंधित नोडल अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होगें ।

---000---

:: प्रकिया ::

पुलिस कर्मचारियों/आश्रितों के लिये

1. (अ) अनुबंधित चिकित्सालय में कैशलेस उपचार हेतु

ऐसी किसी बीमारी जिसकी समुचित उपचार सुविधा/जांच शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध नही है, से पीड़ित होने की स्थिति में योजना के साथ अनुबंधित निजी चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार/सर्जरी की अनुमति/रैफरल हेतु आवेदन पत्र आवश्यक चिकित्सकीय प्रपत्रों सहित इकाई प्रमुख को प्रस्तुत करें । (परिपत्र 1705/13 दिनांक 01.11.2013 का बिन्दु कमांक–1)

1. (ब) गैर अनुबंधित चिकित्सालय जहॉ कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं है में उपचार हेतु

ऐसी किसी बीमारी जिसकी समुचित उपचार सुविधा/जांच शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध नही है, से पीड़ित होने की स्थिति में प्रदेश या प्रदेश बाहर स्थित मध्यप्रदेश शासन द्वारा संबंधित बीमारी के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त एवं योजना से गैर अनुबंधित निजी चिकित्सालय में उपचार कराने के लिये अनुमति/रैफरल हेतु आवेदन पत्र चिकित्सा अग्रिम की मॉग करते हुये पी.ए.आर. (प्रपत्र–5) आदि आवश्यक चिकित्सकीय प्रपत्रों एवं वसूली हेतु सहमति पत्र के इकाई प्रमुख को प्रस्तुत करें ।

1. (स) शासकीय चिकित्सालयों में बिना रैफरल के उपचार कराया जाना

राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम–1958 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों एंव चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में संचालित किये जाने वाले चिकित्सालयों जैसे ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) भोपाल तथा भोपाल मेमोरियल हास्पीटल एंव रिसर्च सेंटर में बिना किसी रैफरल के उपचार कराने हेतु अनुमति प्रदान की गई है । इन चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं होने से सदस्य कर्मचारी आवेदन कर चिकित्सा अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं ।

2. पुलिस अधीक्षक/सेनानी/इकाई प्रमुख के लिये

2. (अ) अनुबंधित चिकित्सालय में कैशलेस उपचार हेतु रैफरल की कार्यवाही

कर्मचारी द्वारा उपचार/सर्जरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर इकाई प्रमुख द्वारा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श पर मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा न्यास के साथ अनुबंधित प्रदेश या प्रदेश बाहर स्थित संबंधित बीमारी के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में कैशलेस उपचार हेतु रैफरल/उपचार की अनुमति निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–2) में, स्वीकृति योग्य अथवा शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अंतर्गत प्रदान की जाऐगी । (परिपत्र 1705/13 दिनांक 01.11.2013 का बिन्दु कमांक–1)

2. (ब) शासकीय अथवा गैर–अनुबंधित निजी चिकित्सालय में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम प्रदान करने हेतु

संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श पर राज्यशासन से मान्यता प्राप्त राज्य के भीतर अथवा बाहर स्थित योजना के तहत गैरअनुबंधित निजी चिकित्सालय में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम चाहने बाबत संबंधित के वसूली सहमति पत्र, पीएआर (प्रपत्र–5),मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा सहित पत्र अति.पुलिस महानिदेशक (कल्याण) पुलिस मुख्यालय को भेजेगें । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग प्रत्यारोपण(किडनी/लीवर आदि ट्रांसप्लांट) के लिये संबंधित इकाई के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा गठित कमेटी द्वारा जारी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही चिकित्सा अग्रिम के प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किये जावेंगे ।

2. (स) आकस्मिकता प्रकरण में रैफरल

चिकित्सालय से emergency admission certificate, PAR प्राप्त होने पर अविलम्ब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अनुशंसा प्राप्त कर इकाई प्रमुख द्वारा रैफरल पत्र जारी किया जायेगा ।

2. (द) इकाई प्रमुख द्वारा उपचार उपरान्त देयक प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही

मध्य प्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक एफ–3/92/2012/बी–3/दो भोपाल दिनांक 19 अगस्त 2013 के बिन्दु 5 (ख), (घ) के अनुसार उपचार उपरान्त अनुबंधित चिकित्सालय से प्राप्त देयकों का संबंधित इकाई के लिपिक द्वारा परीक्षण किया जावेगा एंव नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर रैफरल का परामर्श देने वाले मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी से मेडिकल बिल प्रति–हस्ताक्षरित कराने के उपरान्त आहरण हेतु कोषालय भेजा जाकर निर्धारित 45 दिवस की अवधि में चिकित्सालय को भुगतान किया जावेगा ।

इकाई में बजट की अनुपलब्धता की स्थिति में इकाई प्रमुख बजट की मांग हेतु पत्र पुमनि(योजना) बजट शाखा को लेख करते हुये प्रतिलिपि, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित देयक (प्रारूप फार्म–1, नियम–8(1)) की छायाप्रति सहित चिकित्सालय को सीधे भुगतान करने हेतु पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा को प्रेषित करेगें, जिसका समायोजन बजट प्राप्त होने एवं चिकित्सा देयकों के आहरण पश्चात इकाई प्रमुख द्वारा कल्याण निधि में किया जावेगा ।

3. अनुबंधित चिकित्सालय में उपचार

3. (अ) रैफरल प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही

इकाई प्रमुख द्वारा रैफर किए गए प्रकरण प्राप्त होने पर उपचार के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अंतर्गत अधिकृत बीमारियों के उपचार हेतु संभावित व्यय का उल्लेख कर पीएआर (प्रारूप–5) तैयार कर अविलम्ब अनुमोदन हेतु संबंधित इकाई प्रमुख को प्रेषित करेगें तथा एम.ओ.यू. में उल्लैखित शर्तो के अनुरूप सदस्य/आश्रित को उपचार हेतु भर्ती कर कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करेगें ।

3. (ब) आकस्मिकता की स्थिति में जहॉ तत्काल उपचार प्रारम्भ करना आवश्यक हो चिकित्सालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

आकस्मिकता की स्थिति में सदस्य/आश्रित की जीवन रक्षा हेतु बिना रैफरल के ही अनुबंधित चिकित्सालय में सदस्य/आश्रित के जाने पर चिकित्सालय द्वारा तत्काल आवश्यक उपचार प्रारम्भ करने के साथ ही CERTIFCATE FOR EMERGENCY ADMISSION & TREATMENT (प्रारूप–6), PAR (प्रारूप –5), जारी कर रैफरल प्राप्त करने हेतु संबंधित इकाई प्रमुख को अनुरोध किया जावेगा । निर्धारित समयसीमा के भीतर इकाई प्रमुख से रैफरल पत्र प्राप्त न होने पर उपचाररत सदस्य/आश्रित को संबंधित बीमारी/सर्जरी के उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सालय में जाने की सलाह देगें । पात्रता न होने पर कर्मचारी स्वयं के व्यय पर उपचार करा सकेगा ।

3. (स) उपचार उपरान्त अनुबंधित निजी चिकित्सालय द्वारा भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किया जाना

नियमानुसार उपचार/चिकित्सा/सर्जरी उपरान्त रैफरल पत्र,पीएआर,पैकेज के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप फार्म–1, नियम–8(1) में चिकित्सा देयक तैयार कर संबंधित सदस्य एंव उपचार करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर करा कर समस्त मूल प्रपत्र, फीडबैक फार्म सहित रैफरल जारी करने वाले इकाई प्रमुख की ओर देयक के भुगतान हेतु प्रेषित किये जायेगें ।